

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं/श.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./07/2009/१५५ भोपाल, दिनांक - १/११/०९

// आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रं/श.क./ए/संवि./07/09/351 भोपाल दिनांक - 28.07.09 के सरल क्रमांक - 01 पर श्रीमती स्वर्णलता राय, सहायक अध्यापक, शा. मा.शा. भमेडी, जिला होशंगाबाद को आदेश के कॉलम छः में अंकित शाला शा.प्रा.शा. झिरपई जिला रायसेन में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

आवेदिका द्वारा संचालनालय में प्रस्तुत आदेदन पत्र में पारिवारिक परिस्थितियों/पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के आधार पर संविलियन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र में वर्णित परिस्थितियों के आधार पर संचालनालय के आदेश दिनांक 28.07.09 पर अंकित श्रीमती स्वर्णलता राय, सहायक अध्यापक, शा.मा.शा. भमेडी, जिला होशंगाबाद का जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला रायसेन में संविलियन हेतु जारी की गई अनुमति निरस्त की जाती है।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित


०६/११/०९
उप संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा क्रं/श.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./07/2009/१५५ भोपाल, दिनांक - १/११/०९
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला रायसेन/होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नरसिंहपुर/सिवनी, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला रायसेन मध्यप्रदेश।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रायसेन/होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
6. श्रीमती स्वर्णलता राय, सहायक अध्यापक, शा.मा.शा. भमेडी, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।


०६/११/०९
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश